

7-343-2070



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

343

12-2-2018

1. भूमि का प्रकार
2. वार्ड/ परगना
3. तप्पा

4. मोहल्ला/ग्राम
5. सम्पत्ति का विवरण
6. मापन की ईकाई
7. सम्पत्ति का क्षेत्रफल
8. सड़क की स्थिति
9. अन्य विवरण
10. सम्पत्ति का प्रकार
11. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)
12. कुल आच्छादित क्षेत्रफल
13. स्थिति-फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य
14. पेड़ों का मूल्यांकन
15. बोरिंग/कुआं/अन्य
16. निर्मित क्षेत्रफल
17. निर्माण का वर्ष
18. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है
19. प्रतिफल की धनराशि
20. सरकारी मालियत
21. स्टाम्प

चौहद्दी :-

- पूरुब:- आराजी गाटा सं० 19
- पश्चिम:- आराजी गाटा सं० 3
- उत्तर:- आराजी गाटा सं० 10
- दक्षिण:- चक रोड व रेलवे लाईन

चौहद्दी जमुना 5/11/18

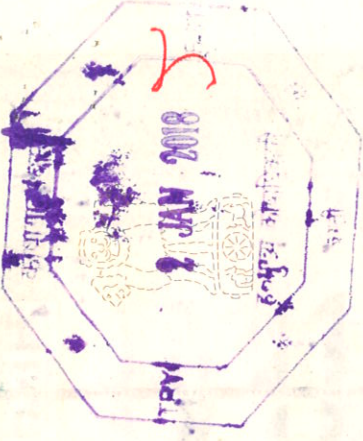
विक्रय विवेख

- : कृषि
- : बस्ती पूरब
- : शिवपुर
- : कैथवलिया
- : गाटा सं० 11 (यूनिक आईडी- 178843-0011-0-000-12)
- : हेक्टेयर
- : 0.083 हे०
- : कुछ नहीं
- : कुछ नहीं
- : कृषि भूमि
- : कुछ नहीं
- : कुछ नहीं
- : कुछ नहीं
- : कुछ नहीं
- : कुछ नहीं
- : मु० 9,99,840 /-रुपये
- : मु० 3,33,280.../- रुपये
- : मु० 50000 /- रुपये

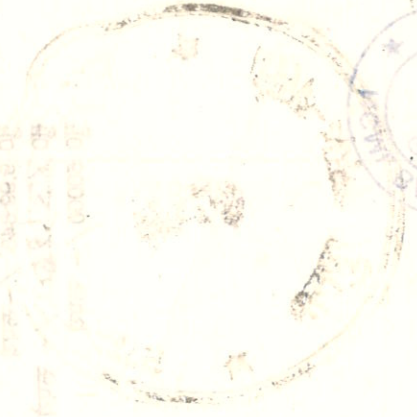


Handwritten text: 13 JAN 2018 13 JAN 2018 13 JAN 2018

Handwritten text: 13 JAN 2018 13 JAN 2018 13 JAN 2018



Handwritten signature/initials





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

764762

764762

यह विक्री विलेख उपनिबन्धक भानपुर जिला बस्ती दिनांक 12.03.18 के इस दिवस को तैयार और निष्पादित किया जाता है।

के मध्य

जमुना प्रसाद पुत्र रामलौट निवासी ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती एतद्वारा जिसे विक्रेता/प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक, निष्पादक, वकील और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे। मो० नं०-..... और

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा० लि० जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है जिसका पंजीकृत कार्यालय -IFFCO Tower- 1, B-Wing 5th Floor, Plot No. 3, Sector 29, Gurgaon, Haryana- 122001 है के द्वारा श्री सुनील रेजोल्यूशन दिनांक 30 जनवरी 2017 एवम् आर्थोरिटी लेटर दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के द्वारा श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल को क्रेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया है अतः श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल उक्त विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एतद्वारा जिन्हें 'क्रेता' के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, जिसका अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे) मो० नं०-9205590148

चूंकि तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्वामित्व/अधिकारों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार, खाता खतौनी सं० 21 के गाटा सं० 11 रकबा 0.083 हे०, विक्रित रकबा 0.083 हे० का सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा कैथवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के मूल स्वामी प्रथम पक्ष है तथा विक्रेता अपने निज हिस्से की भूमि ही विक्रय कर रहा है।

और चूंकि एतद्वारा विक्रेता के बीच यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को बेचने पर सहमति हुई है, और आगे भी उपरोक्त भूमि के लिए इस अंतिम बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं। विक्रेता उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा भविष्य में दायर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे, मांग, अभियोग और/या कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान क्रेता को उसके मालिकाना अधिकारों और बिक्रीयोग्य स्वत्वाधिकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

और चूंकि यहां विक्रेता के पास अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व, कब्जा और निवास के पूर्ण अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित प्राप्त हैं। वर्तमान विक्रेता के नाम भूमि अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी

नि. ३०० जमुना ५५५५



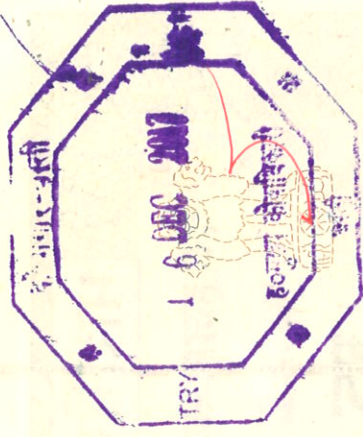
Suni



NCML Basti Pvt Ltd

Iffco tower -I, B-wing, 5th floor, Plot No-3

Sec-29, Gurgaon, Haryana - 122001



16 DEC 2017
16 DEC 2017

104165

104165

Handwritten signature and initials.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

764763

764763

रिकॉर्ड में दर्शाए गये हैं। उपरोक्त संपत्ति सभी शुल्क/प्रमाओं से मुक्त है और विक्रेता के अधिकार मान्य, स्पष्ट, बिक्री योग्य और हस्तांतरणीय है और वह कानून के तहत प्रदान किये गये तरीके से उसी तरह से निपटने की हकदार है (जिसमें वर्तमान खरीदार को उसे बेचना शामिल है) निम्न दी गई परिस्थितियों और शर्तों और नियमों के अंतर्गत:-

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि वह किसी आदिवासी/जनजातीय/अनुसूचित जाति या किसी भी अन्य जाति या पंथ से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत खरीदार के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति कानून के अंतर्गत हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तटीय नियमों, आरक्षण, ग्राम समाज की जमीन तालाब, जंगल, खनन अधिग्रहण आदि के कोई प्रावधान कभी भी उसपर लागू नहीं हुए हैं और उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी अभ्यादेश, अधिनियम, अनुच्छेद, नियम और विनियमों (राज्य या केंद्रीय) के तहत कोई अधिसूचना जारी/प्राप्त नहीं की गई है जिसके अंतर्गत विक्रेता खरीदार को कथित संपत्तियों की बिक्री या निपटान से रोका गया है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई अभियोग या अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है। विक्रेता ने यह घोषित किया है कि कथित संपत्ति सभी लेनदेन व भार/बंधक से मुक्त, बिक्री योग्य और प्रभाररहित है और विक्रेता एकमात्र व्यक्ति है जो उस संपत्ति का पूर्ण हकदार है और विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिये भी सहमत है और खरीदार, उसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और हस्तांतरितियों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही, दावे, नुकसान, मुकदमे, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार को उन किसी अन्य व्यक्ति के दावों के परिणामस्वरूप खर्च करना या भुगतान करना पड़ सकता है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, खरीदार खाता खतौनी सं० 21 के गाटा सं० 11 रकबा 0.083 हे० स्थित मौजा कैथवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है जोकि विक्रेता अग्रिम रुपये 9,99,840/- मौद्रिक प्रतिफल के रूप में (रुपये नौ लाख नित्यानवे हजार आठ सौ चालिस केवल) के एवज में खरीदने के लिये सहमत हो गया है जिसकी कीमत 48,75,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.083 हे० का मूल्यांकन मु० 9,99,840/- रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से मु० 50,000/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन प्रतिनिधित्व और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, भूमि खरीद की प्रतिफल राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दी गई है:

नि-अ जयना 5/11/14



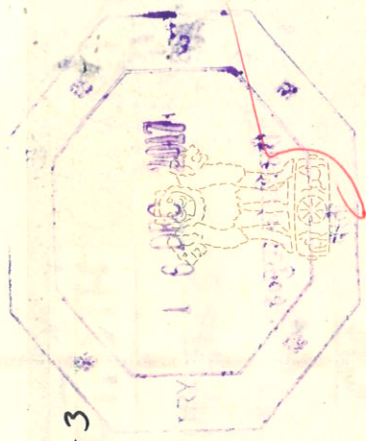
Suni



NCML Basti Pvt. Ltd.

Iffco tower-I, B-wing, 5th floor, Plot No-3

Sec-29, Gurgaon, Haryana - 122001

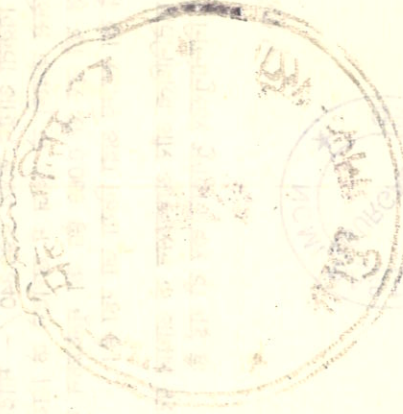


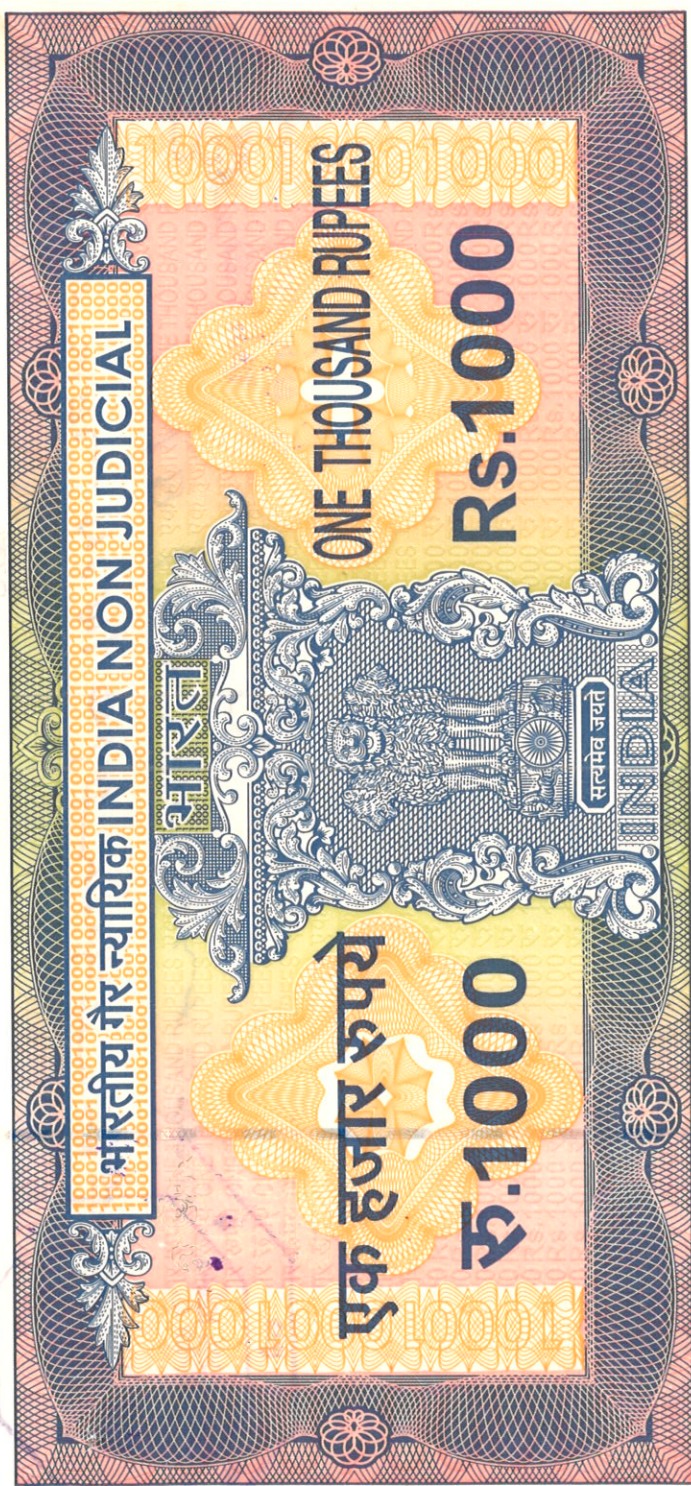
बिबी कुनार सिवास्वर
उप रोडिंग ऑफिसर
बस्ती

30463

3

X 21





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

AZ 691736

नाम	बैंक का नाम	राशि	डिजिटल नं०/यूटीआर0 नं०	दिनांक
जमुना प्रसाद	यस बैंक गोरखपुर उ०प्र०	9,99,840/-	127069	21.12.2017

विक्रेता द्वारा इस बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले उपरोक्त वर्णित भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि कर दी गई है।

और चूंकि खरीदार ने अब विक्रेता को इस बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया है, जिसे विक्रेता इसके आगे जिस प्रकार प्रस्तुत किया है सहमत हो गया है;

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि खरीदार इस बिक्री विलेख के निष्पादन पर या उससे पहले विक्रेता को उपरोक्त प्रतिफल राशि की पूर्ण और अंतिम स्वीकृत प्रतिफल देय राशि का भुगतान कर दिया, विक्रेता की ओर से भूमि और उसका प्रत्येक हिस्सा, खरीदार के पक्ष में हमेशा के लिये विमुक्त, रिलीज और डिस्चार्ज करना होगा जिसमें उसके पेड़, फसलें, कुआँ, द्यूब/बोर-वेल, कोई भी सरचना या कुछ भी ऐसा जो वहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित है, और किसी भी प्रकार की कोई उत्पादित वस्तु जो कुछ भी है जो निष्पादन तारीख तक कथित संपत्ति पर उपलब्ध है जिसके, मालियत परस्टाम्पयुल्क अदा किया गया है तथा इस विक्रय पत्र पर वर्णित होगा विक्रेता एतद्वारा खरीदार को हमेशा के लिए में कृषि भूमि जिसका खाता खतौनी सं० 21 के गाटा सं० 11 रकबा 0.083 हे० स्थित मौजा कैथवलिया तप्या शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है उसकी अनुमति, बिक्री, हस्तांतरित और भरोसा, सभी, नालियों, रास्ते, मार्ग, विशेषाधिकार, भोगाधिकार, लाभ, फायदों, अधिकारों, सदस्यों और साजों सामान के साथ, कथित संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी है या उसके साथ उसका जो भी सरोकार है या उसी के साथ या अब उसके किसी भाग को या अब तक किसी भी समय जो उसके पास है, जिसका उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कब्जे में है या जिसका वह आनंद उठा रहा है या प्रसिद्ध या हिस्से के रूप में जाना जाने वाला भाग या कथित संपत्ति को समस्त विलेख, दस्तावेजों, लिखित कागजात, वाउचर और कथित संपत्ति के स्वामित्व के अन्य साक्ष्यों के साथ या उसका कोई हिस्सा और सभी एस्टेट, अधिकार, मालिकाना, हित, उपयोग, विरासत, संपत्ति, कब्जा, लाभ, दावा और भाग के साथ जो कुछ भी कानूनन और विक्रेता के इस संपत्ति पर या उसके अंश पर है या उनका कोई भाग रखने के लिये है या रोकने के लिये है वे सभी या उनमें से कोई एक कथित संपत्ति को एतद्वारा स्वीकृति देता है, बताता है और आश्वस्त करता है या इरादा या अभिव्यक्ति करता है जो उनके साथ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अधिकार, सदस्य और साजों सामान, को खरीदार के इस्तेमाल और लाभ के लिये स्वीकृति, बिक्री, हस्तांतरण और आश्वासन प्रदान करता है हमेशा किराया,

जमुना प्रसाद



Page 427

is your friend.

1 B 6-5 4412

100

2012

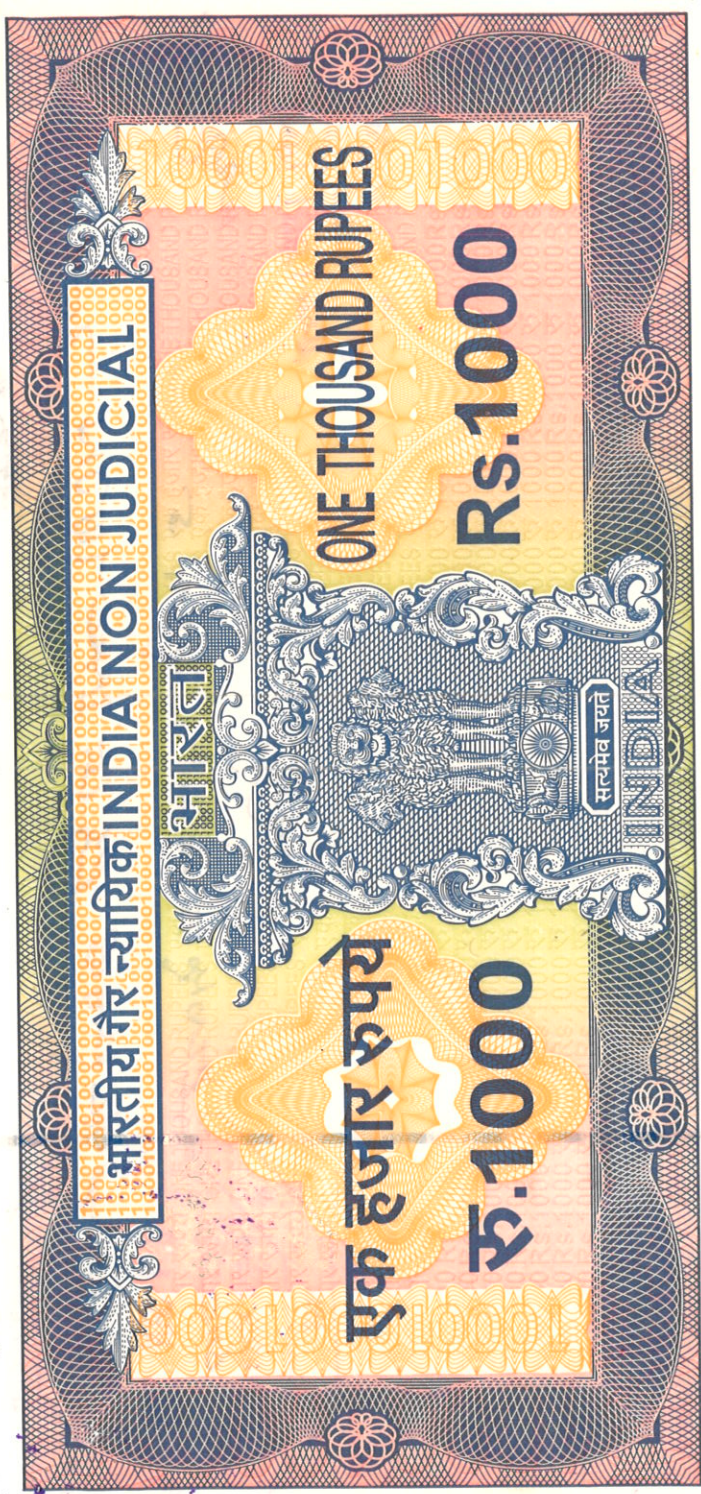
मन्त्रः । श्रीगणेशाय नमः ।

[illegible]

250

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು
2018
ಕರ್ನಾಟಕ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

AZ 691737

दर, कर, यूल्यांकन, देयता और कर्तव्यों के अधीन खरीदार पर लगाए जाएंगे और वे या इसके बाद सरकार या स्थानीय ग्राम पंचायत या इस संपत्ति से संबंधित किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को देय होंगे और विक्रेता यहां इसके बाद अपने स्वयं को, उसके उत्तराधिकारियों, निशपादकों और प्रशासकों को, खरीदार को वचन देता है कि विक्रेता द्वारा किसी कार्यवाही, मांग, मामले या किसी चीज के ना होते हुए भी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, कानूनसंगत या उसके समान किसी के द्वारा, से, माध्यम से, अधीन या उसके लिये वि वास करते हुए दावा करने पर, और विक्रेता अपने स्वयं के अच्छे अधिकार, पूर्ण भाक्ति और सम्पूर्ण अधिकार के साथ खरीदार को उपरोक्त ढंग से विलेख निष्पादन की स्वीकृति, हस्तांतरण, बिक्री, और आश्वासन या इरादा या अभिव्यक्ति करता है।

और विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन से तुरन्त पूर्व खरीदार को कथित खाली संपत्तियों पर भ्रांतिपूर्वक भौतिक कब्जा सौंप दिया है और खरीदार के लिए यह कैद होगा कि वह समय-समय पर और इसके बाद हर समय इसे अपने पास शांतिपूर्वक रखे, कथित संपत्तियों पर कब्जा रखे, कब्जा प्राप्त करे, उनका आनंद उठाए और जो एतद्वारा उसे साजो सामान के साथ हस्तांतरित की गई हैं और वह चाहे तो किराया प्राप्त करे, अन्य फायदे और लाभ उठाये, और उस पर और उसके हर हिस्से का अपने स्वयं के लिये उपयोग करे और बिना किसी मुकदमे/अभियोग, कैद/कानूनी बेदखली, रुकावट, दावे और/या मांग जो कोई भी भविष्य में यदि विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कानूनसंगत तरीके से या उस जैसा दावा किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह दोषमुक्त, उसका हक बहाल किया पाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिये कथित संपत्ति को उसे खोना पड़ता है या किसी भी तरह से अन्यथा विक्रेता द्वारा अच्छे और पर्याप्त रूप से उसका बचाव किया जाएगा, उसे सभी पुरानी अन्य सम्पदा, मालकियत, शुल्कों, और/या प्रभार जो देय थे या जिनका अब भुगतान कर दिया है, जिसके लिये विक्रेता द्वारा उसके या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत या समान रूप से दावा करने या उनके द्वारा दावे के लिये खरीदार को हानि पहुंचाये बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त विक्रेता या वे सभी लोग जो कानूनन या उसके समान किसी सम्पदा, स्वत्वाधिकार, या हित या कथित संपत्ति में कोई अंश का दावा करते हैं या जिनका कथित संपत्ति में कोई हिस्सा है विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को समय समय पर और एतद्वारा किसी भी समय खरीदार के अनुरोध और लागत पर सभी न्यायसंगत कार्यवाहियां, समझौते, चीजें, मामले, सम्पत्ति हस्तांतरण और कानून का आ वासन जो कुछ भी है खरीदार के उपयोग के लिये कथित संपत्ति और उसके किसी हिस्से को एतद्वारा स्वीकृति और हस्तांतरण के लिये वह सब उपरोक्त तरीके से करना होगा जैसा खरीदार, उसके उत्तराधिकारियों, निशपादकों, प्रशासकों या हस्तांतरितियों या कानूनी सलाहकारों द्वारा किया जाना तर्कसंगत आवश्यक होगा।

और विक्रेता घोषित करता है कि कथित संपत्ति स्वयं अधिग्रहीत संपत्ति है और साफ, बिक्री योग्य और सभी प्रभारों से मुक्त है और यह कि केवल विक्रेता ही संपत्ति का एकमात्र हकदार/स्वामी है और विक्रेता खरीदार

दि २६ जून २०११



Suni



2266

9000/2292 NCMT card 17 Jan 2018

24 Jan 2018

5 unit 2018 29 2019

0000

29/1/2018

अजय राय गुप्ता
अजय राय गुप्ता
अजय राय गुप्ता



2266

2266

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

AZ 691738

की क्षतिपूर्ति के लिये सहमत है और वह खरीदार, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रशासकों और हस्ताक्षरियों की सभी कार्यवाहियों, दावों, नुकसान, अभियोगों, लागत और खर्च की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार द्वारा किये जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के दावे के परिणामस्वरूप खरीदार को खर्च या नुकसान भुगताना पड़ सकता है।

और विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति में से गुजरने के लिये किसी को भी सार्वजनिक रास्ते का अधिकार नहीं होगा या ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण या उनके मवेशी कथित संपत्ति के रास्ते में से पैदल या अन्यथा गुजर सकें।

और विक्रेता आगे वचन देता है निष्पादन की वर्तमान दिनांक तक कथित संपत्ति से संबंधित सभी देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में पूर्व भूस्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी इत्यादि को कोई भी राशि किसी भी प्रकृति में देय नहीं है। बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख तक कर या नि आंकलन कर, इत्यादि का भी भुगतान कर दिया गया है।

यदि खरीदार को कथित संपत्ति का कब्जा सौंपने तक किसी प्राधिकरण को कोई राशि का भुगतान देय है तब विक्रेता उसका भुगतान करने के लिये सहमत है और यह कि उसके बाद कथित संपत्ति का खरीदार कब्जा प्राप्त करने के बाद सभी देय राशियों का भुगतान करने का हकदार होगा। विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति साफ और बिक्रीयोग्य है और बिना किसी संदेह के हर तरह की कुर्की और प्रभार से मुक्त है और एतद्वारा सहमत है और विक्रेता ऐसी सभी कार्यवाहियों, विलेखों, देनदारियों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, अभियोगों और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है जो किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या कथित संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण से उत्पन्न हुई या हो सकती हैं।

और विक्रीत सम्पत्ति में कोई निर्माण नहीं है और पक्षगण भारत के नागरिक हैं। विक्रीत सम्पत्ति के 300 मीटर के त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति पर फसलें, कुआं, द्यूब/बोर-वेल आदि नहीं है।

इस बिक्री-खरीद लेनदेन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, टाइटिंग, प्रिंटिंग और प्रतिलिपि शुल्क के साथ ही एडवोकेट फीस सहित सभी खर्च खरीदार द्वारा वहन किये गए हैं। विक्रेता ने एक बार फिर पुष्टि कर दी है कि उसे पूरी सहमत प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है और खरीदार से उपरोक्त संपत्तियों के एवज में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि को पूर्ण रूप से क्रेता को विक्रय करते हुए कब्जा दे दिया है इसके अतिरिक्त, विक्रेता ने हिंदी भाषा में लिखे इस विलेख के सभी खंड, नियम व शर्तें पुनः या पढ़कर समझ लिया हैं। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के द्वारा ही विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे, विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा।

17/01/2014



Suni



Robertson account was paid by Mr. L. Robertson
on 12/6/1950 for \$20.00

JAN 24 1951

TEST

100-5871

100-5871

be happy to do so

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
NEW DELHI
24 JAN 2018

S. S. S. S.
24/1/18

[Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side]

210

22

१. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 २. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ३. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ४. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ५. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ६. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ७. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ८. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 ९. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।
 १०. ~~संस्कृत~~ संस्कृत भाषा में लिखी गयी है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संपत्ति अनुसूची / सीमाएं

खाता खतौनी सं० 21 के गाटा सं० 11 रकबा 0.083 हे० सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित कैथवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती जिसे संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है:

चौहद्दी :-

पूरब:- आराजी गाटा सं० 19
पश्चिम:- आराजी गाटा सं० 3
उत्तर:- आराजी गाटा सं० 10
दक्षिण:- चक रोड व रेलवे लाईन

इसको सखी मानकर पार्टियों ने एतद्वारा उपरोक्त बिक्री विलेख पर गवाहों के सम्मक्ष दिनांक 12/02/18 को स्वस्थ मन, वित्त, बिना जोर दबाव के अपनी स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए)

विक्रेता / विक्रेता के नाम)

(1) श्रीमान जमुना प्रसाद)

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए)

क्रेता के नाम के भीतर)

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा० लि०)

बजरिये उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

श्री. सुनील चौरसिया)

निर्वाह जमा 5/11/18



पण्डित विलेख 52

कृष्ण

२५०२१६
योग : २००६०

4-
0-
0-
0-

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/02/2018 एवं 01:28:06 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

राजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बस्ती

1/1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 550940

गवाहान-

1. पुरा नाम- राज जो निजा
पिता का नाम- राधा लक्ष्मी मिश्रा
पुरा पता-बी- 21/डी 265 के.छा.डी बाजार, जे.का.प.
मो० नं०- 9919856000

2. पुरा नाम- आपुष दामुदास मनोज कुमार छहर
पिता का नाम- रमणी दास देव काला जे.उमसेहन
पुरा पता- बी.डी. 265 के.छा.डी बाजार, जे.का.प.
तहरीर दिनांक- 12/02/18

मसविदाकर्ता:- राजेश कुमार वर्मा इ.उ.मो.के.

नि.छा. जे.का.प.



Suni



2/12/2018

4 623

पुष्टि विलेख 58,59

निष्पादन लेखपत्रवाद सुनिश्चन व समझौते में निर्माण व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता:

श्री जमुना प्रसाद, पुत्र श्री रामलोट

मजरा: राय। गुप्ता
मजरा: लोहरा बस्ती
मजरा: लोहरा बस्ती

निवासी: दिनच शुक्ल तप्पा शिवपुर

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री एन सी एम एल बस्ती प्रा० लि० द्वारा सुनील चौरसिया,

पुत्र श्री मनोहर लाल

निवासी: इफको टावर 1 बी विंग पांचवी मंजिल प्लॉट नं 3

सेक्टर 29 गुडगाव हरियाणा 122001

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रामजी मिश्रा, पुत्र श्री राधासरन मिश्रा

निवासी: 2/5/265 कंधारी बाजार फैजाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री आयुष ठाकुर, पुत्र श्री मनोज कुं ठाकुर

निवासी: सूर्या अपार्टमेंट कालका जी एक्सप्रेसन नई दिल्ली

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार

लिए गए हैं।

टिप्पणी:

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक

उप निबंधक: भानपुर

बस्ती

प्रिंट करें

२०६५५५५

श्री ६८-२०१२-१४८११८ का फिले जॉर्जि डब्ल्यू २०१४ डि २५

८०११२४३ डिसेंबर २०१७ २०१७ डिसेंबर

२०१७

अर्जुन राय गुप्ता
२०१२/२०१८
नाइमेस १

पृष्ठ विलेख ६०

बही संख्या १ जिल्द संख्या १७१९ के पृष्ठ १ से १८ तक क्रमांक ३४३ पर दिनांक १२/०२/२०१८ को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

१२

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक
उप निबंधक : भानपुर
बस्ती



N-7-5

वाफ २०-५-१८
२०१८
२०-५-१८